

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी०एम०सी/कार्य/136/2014/...../राँची, दिनांक

प्रेषक:

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०-हिन्तू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा अंतर्गत परिशिष्ट-I के अनुसार तीन अदद उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रु० 137.538 लाख (रु० एक करोड़ सैतिस लाख तिरपन हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

- 2 मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा अंतर्गत परिशिष्ट-I के अनुसार तीन अदद उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रु० 137.538 लाख (रु० एक करोड़ सैतिस लाख तिरपन हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 3 उक्त प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, हजारीबाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।
- 4 इन उद्वह सिंचाई योजनाओं में Construction of Intake Well, Pump House, Vat Distribution Tank का निर्माण, Pipe laying, Mechanical fitting, Electrical Motor Pump का क्रय एवं अधिष्ठापन के साथ-साथ Electrification इत्यादि का प्रावधान किया गया है।
- 5 इन कार्यों का कार्यान्वयन निम्न शर्तों के साथ दी जाती है—
 - (i) इन उद्वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजनाओं के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति (WUA) से प्राप्त नहीं रहने पर योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।
 - (ii) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।
 - (iii) योजना का कार्य, कार्यस्थल पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने/विद्युत आपूर्ति बहाल होने की कार्रवाई समानान्तर रूप से चलने की स्थिति में ही प्रारम्भ किया जाएगा।
 - (iv) कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र का आकलन के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जायगा एवं प्राक्कलन के मद एवं मात्रा की जाँच तथा उसकी तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया जायगा।
 - (v) प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन के पूर्व प्राक्कलन में प्रावधानित संरचनाओं की रूपांकण की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6 इन योजनाओं के निर्माण कार्य से कुल 180 हे० (खरीफ-150 हे०, रब्बी-30 हे०) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-I में संलग्न है। प्रस्ताव का औसत इंस्टिटेन्स ऑफ कॉस्ट रु० 76410 आकलित है।
- 7 प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारंभ कर वर्ष 2015-16 में पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

- 8 प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष-“4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-101-सतही जल-19-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य” अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।
- 9 प्रस्तावित कार्य के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।
- 10 इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 11 झारखंड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
- 12 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
- 13 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।
- 14 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- 15 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

अनु:-परिशिष्ट-I

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

६०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी०एम०सी/कार्य/136/2014//राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु:-यथोक्त।

६०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी०एम०सी/कार्य/136/2014//राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, कोडरमा, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु:-यथोक्त।

६०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी०एम०सी/कार्य/136/2014//राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु:-यथोक्त।

६०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी०एम०सी/कार्य/136/2014//राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु:-यथोक्त।

६०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी०एम०सी/कार्य/136/2014//राँची, दिनांक
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु:-यथोक्त।

६०/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक: 3/पी०एम०सी/कार्य/136/2014/ 47/14-15 ५.६१०/राँची, दिनांक 20/8/14
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।
अनु:-यथोक्त।

६०/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)
20/8/14

कोडरमा जिलान्तर्गत तीन अद्वह उद्वह सिंचाई योजनाओं की विवरणी।

(राशि लाख रु० में)

क्र०	योजना का नाम	जिला	प्रखंड	ग्राम	प्राक्कलित राशि	सिंचन क्षमता			Incidence of Cost (Rs./Ha)	10% व्याज पर B.C Ratio
						खरीफ	रब्बी	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पंचखेरो डैम पर उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	कोडरमा	मरकच्यो	अरकोशा	53.38000	50	10	60	88,966	1.24
2	केशोनदी पर उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		मरकच्यो	कोन्झाडीह	42.07900	50	10	60	70,131	1.62
3	बराकर नदी पर उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		मरकच्यो	दशारोखुर्द	42.07900	50	10	60	70,131	1.62
	कुल:-				137.5380	150	30	180		

संयुक्त सचिव (अभि.)
जल संसाधन विभाग

संयुक्त सचिव (अभि.)
जल संसाधन विभाग